संख्या–846 / 49–3–2011–100(25) / 92टी0सी0।।।

प्रेषक,

राकेश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 2011

विषय– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–05–07 / मानी0सेल / लेखा, दिनॉक 04 अप्रैल, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आय–व्ययक प्राविधान रू0 807.00 लाख के सापेक्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत पूर्व से संचालित एकीकृत सहकारी परियोजना अलीगढ, गाजीपुर एवं प्रतापगढ़ हेतु रू0 28.00 लाख ऋण, रू0 218.00 लाख अंशपूँजी एवं रू0 39.00 लाख परियोजना हेतु अनुदान तथा जनपद सहारनपुर एवं हमीरपुर परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण हेतु अध्ययन शुल्क की प्रथम किस्त की धनराशि क्रमशः रू0 0.42 लाख एवं 0.412 लाख को सम्मिलित करते हुए पी0आई0टी0 हेतु अनुदान रू0 61.832 लाख, कुल धनराशि रू0 346.832 लाख(रूपये तीन करोड़ छियालिस लाख तिरासी हजार दो सौ) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति धनराशि में से पी0आई0टी0 हेतु अनुदान की धनराशि का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 30.916 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत धनराशि रू0 30.916 लाख, परियोजना हेतु अनुदान रू0 39.00 लाख, ऋण रू0 28.00 लाख तथा अंशपूँजी रू0 218.00 लाख अर्थात कुल रू0 315.916 लाख (रूपया तीन करोड़ पन्द्रह लाख एक्यान्बे हजार छःसौ मात्र) एन0सी0डी0सी0 द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किया जायेगा। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी0आई0ए0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उक्त धनराशि वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901 / दस–2011–231 / 2011, दिनॉक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित प्रक्रिया / प्रतिबन्धों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है :–

(1) पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो जाने पर वर्ष 2011–12 में स्वीकृत इस सम्पूर्ण धनराशि का आहरण एक मुश्त न किया जाय । आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से किश्तों में आहरण किया जाय तथा उक्त धनराशि जिन मदों में स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में

..2 / –

नियमानुसार व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त बजट में व्यवस्थित अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व निबधक, सहकारी समितियॉ, उ0 प्र0 द्वारा इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी कि लाभार्थी समितियों द्वारा ऋण का प्रतिदान एवं ब्याज का संदाय नियमित रूप से शासन को किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिये जाये तथा यह भी देखा जाए कि जिन समितियों के पक्ष में स्वीकृतियॉ जारी की जा रही है क्या वे लाभ अर्जन की स्थिति में है?

(2) स्वीकृत अनुदान की धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो के अनुसार ही व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की परियोजना के निर्धारित पैटर्न पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय–समय पर प्राप्त एवं निर्गत होने वाली शर्तो के अनुरूप ही नियंत्रित होगी।

(4) इन शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ की होगी।

(5) आवश्यक उपयोग प्रमाण–पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वर्ष की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना एवं भौतिक प्रगति की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(6) उपरोक्त पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लायी जायेगी। लेखों का लेखा परीक्षण मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा तथा लेखों का लेखा परीक्षण महालेखाकार, उ०प्र० द्वारा भी किया जा सकता है।

(7) उन्हीं समितियों को चयनित किया जाये जो मार्गदर्शिका के अनुसार लाभ अर्जित करने की स्थिति में हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि अंशधन देने के बाद यह समितियॉ आर्थिक रूप से उपादेयता की स्थिति प्राप्त कर लेगी।

(8) योजना के अनुश्रवण मानक निर्धारित कर उद्देश्यों की पूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाये।

4– इस शासनादेश के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–1 से 08 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियन्त्रक/मुख्य/विशिष्ट लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की होगी एवं उनका यह दायित्व होगा कि उक्त सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त विभाग/शासन को दी जायेगी।

...3/–